

भारत विज्ञान पत्रिका प्रकाशक वर्ष 2011-12

### जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5 (नियम 41 देखिये)

("डबुल साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जिला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्ट्याम्प

वही संख्या 69002 रसीद संख्या

नाम रजिस्टर संख्या 69002 से

ल संख्या 69002 (रुपया शब्दों में)

के पृष्ठ/आंशिक भुगतान के मददे प्राप्त हुआ।

नाम श्री कल्याण प्र. कृ. क. (गुणवत्ता)

नांक 1.12.2020 मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

नाकार 13.08.2021 कर-समाहर्ता (टैक्स कलेक्टर)

मूल्य = 118900 रोकड़िया

समाहर्ता तथा वसूली का प्रभासी लिपिक कर अधिकारी।

शुभ-04 जिला पंचायत-04.12.2020-4000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्ट्याम्प

69002 रसीद संख्या

वही संख्या \_\_\_\_\_ रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि \_\_\_\_\_

रसीद के अनुसार किस मददे वसूल की गई \_\_\_\_\_

रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने \_\_\_\_\_

धनराशि वसूल की \_\_\_\_\_

इस कृपण को जमा करने वाले \_\_\_\_\_

अधिकारी का नाम तथा पदनाम \_\_\_\_\_

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 5023 / मानचित्र / जि0पं0 / 2021-22 दिनांक: 13 अगस्त, 2021

श्री ओम प्रकाश वर्मा  
पुत्र स्व0 हलधर प्रसाद वर्मा,  
अधिकृत हस्ताक्षरी  
किएशन इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा0लि0 यूनिट नं0 001  
ओमेक्स हाइट्स चेल्सी टावर 7  
विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ,  
निवासी म0नं0-386 / 18, माधुरी भवन,  
गरुलापार, जिला देवरिया ।

### अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-07-2021 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि गाटा संख्या-330, 332, 333, 334 स्थित ग्राम इब्राहिमपुर कला एवं गाटा संख्या-638 स्थित ग्राम कैमा, परगना देवा, तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में कैनवास इन्फ्रा बिल्ड प्रा0लि0 एण्ड किएशन स्ट्रक्चर के नाम से ले-आउट प्लान निर्माण हेतु भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 11882.33 वर्गमीटर के सापेक्ष भू-आच्छादन 51.14 प्रतिशत, पार्क का क्षेत्रफल 1801.84 वर्ग मीटर, सड़क मार्ग का क्षेत्रफल 4003.27 वर्गमीटर छोड़ते हुए प्लाटिंग हेतु कुल कवर्ड एरिया 6077.22 वर्ग मीटर (आवासीय प्लाटिंग का क्षेत्रफल 4760.79 वर्ग मीटर एवं सामुदायिक केन्द्र का क्षेत्रफल 1316.43 वर्ग मीटर ) हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 10-08-2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 10-08-2021 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) समस्त सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा/अनापत्ति प्राप्त न किये जाने की दशा में परमिट स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैंड कंट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेट नाला/नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि ले-आउट प्लान निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 6077.22 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 5805.11 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (10) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि 12 मीटर सड़क के दोनों ओर व 09 मीटर सड़क के एक ओर तथा ग्रीन एरिया में अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (12) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।
- (13) प्रतिबंध यह रहेगा कि विक्रेता द्वारा सम्पत्ति को खरीदारों में बिक्री से पूर्व भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (RERA) में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- (14) सड़क, नाली, सीवर लाइन, बिजली व मार्ग प्रकाश, ग्रीन एरिया, जलापूर्ति प्रणाली, पार्क, वाटर बाडी आदि समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा तथा समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही प्लॉटों की बिक्री प्रारम्भ की जायेगी।
- (15) तल पट निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को तल पट स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (16) भारत सरकार अथवा उ0प्र0 सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासि स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (17) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (18) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा। स्वामित्व विवादित पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (23) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (24) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (25) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अभियन्ता,

जिला पंचायत, बाराबंकी

अपर मुख्य अधिकारी,


जिला पंचायत बाराबंकी

पृष्ठांकन संख्या: /मानचित्र/जि0पं0/2021-22तददिनांकित।

प्रतिलिपि : सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ की सेवा में सादर सूचना र्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी।

LUCKNOW-KURSI ROAD






KEY PLAN

SCALE : NOT TO SCALE


**SERVICES :-**

- SEWERAGE - DIGESTOR
- WATER SUPPLY - PUMP ROOM
- DRAINAGE - DRAINS


	RAIN WATER HARVESTING
	INSPECTION CHAMBER
	ELECTRIC POLE
	WATER SUPPLY(100 MM DIA.)
	NO. OF TRESS - 32



LAYOUT PLAN  
SUPER IMPOSED ON KHASRA PLAN  
SCALE 1:100



KHASRA PLAN



GATE DESIGN  
SCALE : NOT TO SCALE

**KHASRA DETAIL**

KHASRA NO.	AREA AS PER REGISTRY (HEC)
330	0.352 HEC (3520SQMT)
332	0.291 HEC (2910 SQMT)
333	0.278 HEC (2780 SQMT)
334	0.253 HEC (2530 SQMT)
638	0.241 HEC (2410 SQMT)
<b>TOTAL AREA -</b>	<b>1.415 HEC (14150SQMT)</b>

PROJECT:-

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR  
CANVASINFRA BUILD PVT.LTD. &  
CREATION INFRASTRUCTURE ON KHASRA NO. 330,332,333,334 AT  
VILL.- IBRAHIMPUR KALA & KHASRA NO 638 AT  
VILL.- KAIMA , PER.- DEWA , TEH.- NAWABGANJ , DIST.- BARABANKI.

DISCRIPTION OF PLOTS

NO./ NAME	SIZE	PLOT AREA	TOTAL AREA (SQ.MT)
1-2	7.69 X 14.47	111.42 SQMT.	222.84 SQMT.
3-19	7.62 X 15.39	117.31 SQMT.	1994.27 SQMT.
20	10.29 X 15.39	155.21 SQMT.	155.21 SQMT.
21	11.35 X 15.39	171.36 SQMT.	171.36 SQMT.
22-38	7.62 X 15.39	117.31 SQMT.	1994.27 SQMT.
39-40	7.69 X 14.47	111.42 SQMT.	222.84 SQMT.

AREA STATEMENT -

TOTAL SELLABLE AREA	- 4760.79 SQ.MT - 40.06 %
COMMUNITY CENTRE AREA	- 1316.43 SQ.MT - 11.09 %
TOTAL PARK AREA	- 1801.84 SQ.MT - 15.16 %
TOTAL ROAD AREA	- 4003.27 SQ.MT - 33.69 %
TOTAL PLOT AREA	- 11882.33 SQ.MT - 100 %

AREA STATEMENT -


DRAIN LINE	-
SEWER LINE	-
WATER SUPPLY LINE	-
ELECTRIC POLE	- EP.

SHEET No.:- 1/1


NORTH:-

SCALE:-


DATE:-



LAYOUT PLAN  
SCALE 1:100



LANDSCAPE PLAN  
SCALE 1:100



SEWERAGE ,ELECTRIC ,  
WATER SUPPLY PLAN  
& RAIN WATER HARVESTING  
SCALE 1:100

*Anirakha Verma*

OWNER'S SIGN

*Ar. Vachhav Kumar Srivastava*

Ar. Vachhav Kumar Srivastava  
B.ARCH  
CA/2012/56551  
II Floor, B-4/760, Vibhav Khand, Courti Nagar,  
Lucknow, Uttar Pradesh-226010

ARCHITECT'S SIGN

पुस्तक संख्या: 5223... दिनांक: 13/03/2021  
श्री अशोक चौधरी  
अवर ज्येष्ठ अभियंता  
श्री. 1 धनपतक, नारदपुरी